मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 5, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1.निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री कुशाभाऊ ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष
(2) श्री रामकृष्ण हेगड़े, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
(3) श्री मुकैया अरुणाचलम्, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री
(4) श्री मुहम्मद यूनुस सलीम, बिहार के पूर्व राज्यपाल
(5) श्री लरंग साय, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री
(6) डॉ. प्रभात कुमार मिश्र, भूतपूर्व संसद सदस्य
(7) श्री भागीरथ भंवर, भूतपूर्व संसद सदस्य
(8) श्री नवरतन सांखला, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(9) श्री कन्हैयालाल डूंगरवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(10) श्री श्यामलाल साहू, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(11) श्री माधवलाल दुबे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(12) श्री रियाज अली काका, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष; तथा
(13) श्री चंदू सरवटे, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) पटल पर रखेगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(4) डॉ. ढालसिंह बिसेन, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा-619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री बद्रीलाल यादव, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा-19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संबंधी दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003 पटल पर रखेंगे.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में रासायनिक खाद की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले में स्कूल के बच्चों को दलिया वितरण हेतु प्राप्त गेहूँ को बाजार में बेचे जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 2004